न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 138/2014

1 अरजन (नाऔलाद फौत)
2 मोहन लाल (फौत) पुत्रगण दीपा
2/1 छोटी देवी पत्नी स्व. मोहनलाल
2/2 कैलाश पुत्र स्व. मोहनलाल
2/3 राजकुमार पुत्र स्व. मोहनलाल
3 केशर
4 हरिराम
5 भागीरथ पुत्रगण स्व. लालचंद
6 परमेश्वरी देवी पत्नी लालचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण सांवलोदा धायलान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 शांति देवी धर्मपत्नी रामदेवाराम
2 सीताराम पुत्र रामदेवाराम
3 जोरावर सिंह पुत्र रामदेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण किरडोली हाल आबाद ढाणी खुद की तन सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

4 उप पंजीयक धोद जिला सीकर।
5 तहसीलदार धोद जिला सीकर भूधारक राजस्थान सरकार

औप. रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री मुकदमा नम्बर 457/2008 दिनांक 28.01.2014 द्वारा सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर श्रीमती अनुपम कायम आरएएस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :
1. श्री महेश कुमार जांगीड़, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 21/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 457/2008 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबंदी बाबत भूमि खसरा नम्बर 564, 565, 566, 567 वाके ग्राम सांवलोदा धायलान का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के पूर्वज दीपाराम 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को भूमि विक्रयकर्ता केशर पत्नी पोखर का हिस्सा 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को भूमि विक्रयकर्ता केशर पत्नी पोखर का हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदारी कदीम से चला आ रहा है। दीपा व पोखर ने आपसी सहमति व स्वीकृति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर भूमियां को उपजाऊ व अनउपजाऊ को ध्यान मे रखकर मौके पर बांट लिया तथा विगत 40 वर्ष पूर्व पुख्ता बाड, खाई, डोल व पक्की आवासीय ढाणीया बना कर अपने अपने हिस्से पर आबाद चले आ रहे है। मूल खातेदार पोखर की धर्मपत्नी केशर ने अपना 1/2 हिस्सा शांति देवी पत्नी रामदेवाराम तथा सीताराम पुत्र रामदेवाराम को बहिस्सा बराबर–बराबर दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से पोखर के हिस्से में आई भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्टस को संभला दिया तथा पोखर द्वारा कायम बाड खाई व आवासीय ढाणी वाले स्थान पर रेस्पोडेन्ट काबिज चले आ रहे है। मौके पर बंटवारा मोजुद होते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बंटवारे का दावा संख्या 457/08 दिनांक 23.05.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

2008 को प्रस्तुत किया। दौराने वाद अपने हक हिस्सा सम्पूर्ण शांति देवी द्वारा जरिये उपहार पत्र व्यनित कर देने के कारण कानूनन चलने योग्य नहीं रहा। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 28.01.2014 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण दिनांक 23.09.2013 को जवादेही हेतु नियत था परन्तु मुकदमें की देखरेख अकेले लालचन्द द्वारा की जाती थी लालचन्द हृदयघात से पिड़ित होने के कारण दिनांक 23.09.2013 को अदालत में उपस्थिति नहीं होकर जवाब देही नही प्रस्तुत कर सका। इसलिए दिनांक 23.09.2013 को जवाब देही बंद कर दी गई। लालचन्द की हृदय की भयंकर बिमारी से पिडित होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने के बावजुद उन्होंने इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा। लालचन्द जुन 2013 से जुलाई 2014 तक हृदय की भयंकर बिमारी से जुझते हुये दिनांक 29.07.2014 को मृत्यु हो गई। लालचन्द की बिमारी के दौराने पत्रावली शाहदत वादी में चल थी दिनांक 17.01.2014 व 28.01.2014 की आदेशिका में शाहदत वादी हेतु दिनांक 28.01.2014 तारीख पेशी की आदेशिका लिख देने के बावजुद आर्डरशीट में कांट छांट कर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई व बहस अंतिम हेतु नियत दिनांक 28.01.2014 को आदेशिका में कांट छांट बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द का देहांत दिनांक 29.07.2014 को फौत हो चुका है उसका कोई भी वैध उत्तराधिकारी आज भी रिकार्ड पर नही है आदेश 22 नियम 4 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस में उसके वैध उत्तराधिकारी को रिकार्ड पर नहीं लाने पर दावा अबैट हो जाता है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 457/2008 अबैट हो चुका है। रेस्पोडेन्ट ने मूल खातेदारों से जरिये रजिस्टर्ड विकय्र पत्र जमीनें खरीद कर कब्जे में रहे है तथा वे उसी स्थान पर काबिज है। जिस स्थान पर अपीलान्ट का चाचा पोखर काबिज था, पोखर व दीपा ने विवादित भूमियों का बाहमी बंटवारा कर मौके पर डोल खाई नींव सींव आवासीय ढाणी कायम कर ली जिस पर पक्षकार काबिज आबाद है। पूर्व खातेदारों द्वारा किये गये बंटवारे को बदलने के रेस्पोडेन्ट अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्टस प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.01.2014 की आड़ में मौके पर कायम नींव सींव आवासीय ढाणी को तोड़ फोड़ कर मनमाने भू–भाग पर जबरन कब्जा करने, अपीलान्ट को जबरन बेदखल करने कच्चा पक्का निर्माण करने, नींव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

सींव तोड़ फोड़ करने, वादग्रस्त भूमियों को विकय, रहन , दान, विनिमय करने करवाने से सदैव के लिए बाज रहने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 के आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण दिनांक 23.09.2013 को जवादेही हेतु नियत था परन्तु मुकदमें की देखरेख अकेले लालचन्द द्वारा की जाती थी लालचन्द हृदयघात से पिड़ित होने के कारण दिनांक 23.09.2013 को अदालत में उपस्थिति नहीं होकर जवाब देही नही प्रस्तुत कर सका। इसलिए दिनांक 23.09.2013 को जवाब देही बंद कर दी गई। लालचन्द की हृदय की भयंकर बिमारी से पिडित होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने के बावजुद उन्होंने इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा। लालचन्द जुन 2013 से जुलाई 2014 तक हृदय की भयंकर बिमारी से जुझते हुये दिनांक 29.07.2014 को मृत्यु हो गई।

लालचन्द की बिमारी के दौरान पत्रावली शाहदत वादी में चल रही थी दिनांक 17.01.2014 व 28.01.2014 की आदेशिका में शाहदत वादी हेतु दिनांक 28.01.2014 तारीख पेशी की आदेशिका लिख देने के बावजुद आर्डरशीट में कांट छांट कर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई व बहस अंतिम हेतु नियत दिनांक 28.01.2014 को आदेशिका में कांट छांट बंटवारे की प्राथमिक डिकी जारी कर दी गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द का देहांत दिनांक 29.07.2014 को फौत हो चुका है उसका कोई भी वैध उत्तराधिकारी आज भी रिकार्ड पर नही है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर